भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 5038**
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

**विषयः आमों के लिए शीतागार की स्थापना**

**5038. श्री तमिलसेल्वन थंगाः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के थेनी जिले में आम उत्पादकों के लाभार्थ तथा आम उत्पादकों को उनके उत्पादों के भंडारण के लिए संरक्षा प्रदान करने के लिए शीतागार स्थापित करने का विचार है, क्योंकि थेनी जिले में लगभग 10,000 हेक्टेयर में आम की खेती की जाती है, जिससे प्रति वर्ष मार्च से जून माह तक आम के मौसम के दौरान प्रतिदिन 130 टन से अधिक आम का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (ग): सरकार अपना स्वयं का कोल्ड स्टोरेज स्थापित नहीं करती है। हालाँकि, सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है जिसके तहत तमिलनाडु सहित पूरे देश में शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) को लागू कर रहा है जिसके तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एनुअल ऐक्शन प्लान) के आधार पर तमिलनाडु सहित देश भर में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोल्ड स्टोरेज का घटक, मांग/उद्यमी द्वारा संचालित है जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% की दर से और संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत की 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (सेल्फ हेल्प ग्रुप), किसान उत्पादक संगठन (फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों (को-ऑपरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन्स), स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाजार समितियों (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज) और मार्केटिंग बोर्डों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (नेशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड), "बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 20000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (कंट्रोल्ड ऐटमॉस्फियर) स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के एक घटक के रूप में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग और प्रेजरवेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक योजना भी लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य फसलोपरांत (पोस्ट-हार्वेस्ट) बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों को होने वाले नुकसान को कम करना और किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों और द्वीपों के लिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 50% और वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर से विकिरण (इरैडिएशन) सुविधा सहित इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के अधीन है।

उपर्युक्त सभी योजनाएं वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से मांग/उद्यमी द्वारा संचालित हैं जिनके लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी/अनुदान सहायता के रूप में है और राज्यों/उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, देश में एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) की शुरुआत की है। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 2.00 करोड़ रुपये तक के जमानत मुक्त सावधि ऋण (कोलैट्रल फ्री टर्म लोन) और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित फसलोपरांत (पोस्ट हार्वेस्ट) इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लिए गए सावधि ऋण (टर्म लोन) पर 3% की ब्याज छूट का प्रावधान है।

राज्य बागवानी मिशन, तमिलनाडु सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थेनी जिले में 4500 मीट्रिक टन (टाइप-II) की एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट पहले ही स्थापित की जा चुकी है।

*****